न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर

जालोर न्याय क्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	**–**	**डॉ. विमल व्यास**
	–	**आर.जे.एस**
सी.आई.एस. संख्या	**–**	**2044/2021**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	**–**	**2044/2021**
एफआईआर संख्या	**–**	**102/2021**
सीएनआर नंबर	**–**	**RJJL020035052021**
आरक्षी केन्द्र	**–**	**जालोर**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, जालोर

.....अभियोगी

बनाम

चंद्रमोहन उर्फ चिंटूसिंह पुत्र मालमसिंह, उम्र–24 साल, निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, जालोर, पुलिस थाना कोतवाली, जिला जालोर (राजस्थान)

.....अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 427 भारतीय दंड संहिता

उपस्थित:–

अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।

श्री रामसिंह चंपावत, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

–:प्रकरण के संक्षिप्त विवरण:–

अपराध की तिथि	22–02–2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	22–02–2021
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	24–11–2021
आरोप सुनाए जाने की तिथि	06–05–2022
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	22–06–2022
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	15–06–2026
निर्णय की तिथि	15–06–2026
दण्ड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	–

Authenticated Document

–:अभियुक्त का विवरण:–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
1.	चंद्रमोहन उर्फ चिंटूसिंह	–	–	341, 323 व 427 भारतीय दंड संहिता	दोषसिद्ध	दण्डादेशानुसार	

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	आबिद खान	परिवादी
पीडब्ल्यू–2	इकबाल खान	नक्शा मौका गवाह
पीडब्ल्यू–3	आफताब	आहत
पीडब्ल्यू–4	लक्ष्मणसिंह	चार्जशीट पेशकर्ता
पीडब्ल्यू–5	श्रवणसिंह	आहत
पीडब्ल्यू–6	साहिल	आहत
पीडब्ल्यू–7	राजुसिंह	कायमी मुकदमा
पीडब्ल्यू–8	बाबुलाल	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू–9	डॉ. गजानंद शर्मा	चिकित्सक साक्षी
पीडब्ल्यू–10	अरबाज खान	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू–11	महेंद्र कुमार उर्फ मोटाराम	नक्शा मौका गवाह

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

Authenticated Document

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	टंकितशुदा रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2	नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–2
3	चोट प्रतिवेदन श्रवणसिंह	प्रदर्श पी–3
4	चोट प्रतिवेदन सोहेल	प्रदर्श पी–4
5	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी–5
6	चोट प्रतिवेदन अरबाज खान	प्रदर्श पी–6
7	फोटोग्राफ्स	प्रदर्श पी–7 लगायत प्रदर्श पी–10
8	पुलिस बयान अरबाज खान	प्रदर्श पी–11

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
–	–	–

निर्णय **दिनांकः 15–06–2026**

01– इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, जालोर की ओर से दिनांक 24–11–2021 को अभियुक्त चंद्रमोहन उर्फ चिंटूसिंह के विरुद्ध धारा 341, 323 व 427 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर हुआ, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

02– अभियोजन वृतांत संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी आबिद खान ने दिनांक 22–02–2021 को एक टंकितशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, जालोर के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 22–02–2021 को दोपहर 02.30 बजे श्रवणसिंह पुत्र प्रेमसिंह, निवासी धुणिया मठ के पीछे बड़ी पोल, जालोर व साहिल खान पुत्र शक्ति खान, निवासी चामुंडा गार्डन के पीछे, जालोर लेने आ रहे थे। जैसे ही नहर के पास आए, तब वहां घात लगाए खड़े चिंटूसिंह पुत्र पिंटूसिंह, दिपुसिंह व छह–सात अन्य व्यक्ति घात लगाए खड़े थे, जिन्होंने उन्हें आते हुए को रोककर उनके पास लोहे के पाइप व लाठियों से हमला कर दिया तथा साहिल व श्रवणसिंह के पास स्कुटी थी, उसको भी तोड़ दिया तथा साहिल के सिर में, कंधे पर व शरीर के अन्य अंगों पर तथा श्रवणसिंह के दोनों पैरों पर पाइप व लाठियों से चोटें मारने से खून निकलने लगा। प्रार्थी व आबताब पुत्र अमजद खान ने बड़ी मुश्किल से बीच–बचाव कर छुड़ाया वरना और अधिक मारपीट करते। साहिल उसका भाणजा है, जिसको व श्रवणसिंह को आते हुए को रोककर मारपीट की व अरबाज खान पुत्र सालिम खान भी बीच–बचाव करने आया तो उसके भी उक्त सभी लोगों ने सिर व शरीर के अन्य अंगों पर गंभीर चोटें लगने से वह बेहोश हो गया, जिसे राजकीय अस्पताल, जालोर में भर्ती करवाकर सीधे

श्रीमानजी के समक्ष रिपोर्ट पेश करने आए हैं। अतः रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करावे व उनका मेडिकल करवाकर दोषी लोगों को सजा दिलावे.............इत्यादि।

03– उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली जालोर द्वारा प्रकरण अपराध अंतर्गत धारा 341 व 323 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त चंद्रमोहन उर्फ चिंटूसिंह के विरुद्ध धारा 341, 323 व 427 भारतीय दंड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 427 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04– दिनांक 06–05–2022 को अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 427 भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

05– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

06– तत्पश्चात् अभियुक्त का परीक्षण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को झूठा बताते हुए कोई साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा।

07– बहस अंतिम सुनी गई। अभियुक्त के धारा 437–क दंड प्रक्रिया संहिता के बंध पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किये गए।

08– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

''क्या, अभियुक्त द्वारा दिनांक 22–12–2021 को समय करीब 12.30 पी.एम. पर वाके मौजा जालोर में नहर के पास आहतगण आफताब, श्रवणसिंह व साहिल को सदोष अवरोध कारित कर उनको उपहित किारत करने के आशय से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की व आहत को नुकसान कारित करने के आशय से आहत की स्कुटी में तोड़–फोड़ कर नुकसान पहुंचाकर रिष्टि कारित की। यदि हॉं तो अभियुक्त किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है"?

09– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त श्री रामसिंह चंपावत ने तर्क प्रस्तुत किया कि गवाहान के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्त की लिप्तता को प्रकट करे। अंत में, अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

11– उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु 11 साक्षीगण को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है, जिनकी

साक्ष्य का विवेचन निम्न प्रकार है:–

साक्षी **पीडब्ल्यू–1 आबिद खान** ने शपथ पर कथन किया है कि करीब दो साल पहले दोपहर मे करीब 2–3 बजे साहिल व अरबाज खां दोनो टिफिन लेने के लिये गैराज से घर पर आ रहे थे। आहोर चौराहे से आगे नहर के पास पहुंचे तभी वहां पर चिंटुसिंह और अन्य लोगो ने साहिल, अरबाज, आपताब और श्रवणसिंह के साथ रोककर लाठियो व डंडे से मारपीट कर रहे थे। उसने तथा इकबाल ने बीच बचाव कर छुडाया था। इस मारपीट में साहिल के सिर, पैरों पर तथा अरबाज के कान पर, श्रवणसिंह के सिर पर तथा पैरों पर चोटें आई थी। इस घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पुलिस थाना कोतवाली जालोर मे पेश की थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि पुलिस थाने मे रिपोर्ट उसने पेश की थी। इस मारपीट मे उसके चोट नहीं आई थी, क्योंकि वह मौके पर नहीं था। यह कहना गलत है कि उसने घटना नहीं देखी थी। यह झगडा करीब आधा घंटा तक चला था। मारपीट करने वाले 4–5 जने थे। टिफिन लेने श्रवणसिंह तथा साहिल जा रहे थे। इनके साथ झगडा होने के वक्त वह गैराज पर था। उसका गैराज कानजी टिफिन सेंटर के पास आया हुआ है। झगडा नहर के पास हुआ था जो उसके गैराज से करीब 1 किलोमीटर दूर है। झगडे की सूचना श्रवण ने उसे फोन पर दी थी। यह कहना गलत है कि परिवादी उसका भांजा होने के कारण वह झुठे बयान दे रहा है। पुलिस ने घटना के दिन ही शाम को मौका मुआयना कर नक्शा मौका बनाया था। पुलिस को मौका उसने दिखाया था।

साक्षी **पीडब्ल्यू–2 इकबाल खान** ने शपथ पर कथन किया है कि करीब साल भर पहले नेहरू पार्क के सामने वाली गली मे पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि पुलिस ने घटना के कितने दिन मौका देखा था, उसे नहीं पता। पुलिस ने फर्द प्रदर्श पी–2 मे क्या लिखापढी की थी, उसे नहीं पता। उसके केवल हस्ताक्षर करवाये थे।

साक्षी **पीडब्ल्यू–3 आफताब** ने शपथ पर कथन किया है कि करीब डेढ–दो साल पहले दोपहर के समय हाई सैकेण्डरी के पीछे, नेहरू गार्डन वाली गली मे वह, सोहेल, श्रवण तीनों स्कुल से घर पर जा रहे थे। उस समय चिंटुसिंह व अन्य लड़के आये और उन्होंने उसके, श्रवण, सोहेल के साथ लाठियों से मारपीट की थी। वे वहां से भाग गये थे और मुलजिमान भी वहां से भाग गये थे। उसके अंदरूनी चोटें आई थी। अरबाज के कान व मुंह पर चोट आई थी। श्रवण के भी अंदरूनी चोटे आई थी। सोहिल के सिर पर चोट आई थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह मारपीट करने वालों को नहीं जानता है। यह मारपीट स्कुल की बात को लेकर हुई थी। बीच बचाव करने कोई नही आया था। यह कहना गलत है कि वह, सोहेल तथा श्रवण तीनों मोटरसाईकिल पर जाते समय नीचे गिरने से चोटे आई हो।

साक्षी **पीडब्ल्यू–4 लक्ष्मणसिंह** ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 28–03–2021 को थानाधिकारी के पद पर पुलिस थाना जालोर में कार्यरत था। उस रोज

Authenticated Document

सीआर नंबर 102/2021 के प्रकरण में हेड कानिस्टेबल बाबुलाल ने बाद तफ्तीश मुलजिम चन्द्रमोहन उर्फ चिंटु के विरूद्ध धारा 341, 323 व 427 भादस का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली उसे पेश की थी, जिस पर उसने मुलजिम चन्द्रमोहन उर्फ चिंटु के विरूद्ध धारा 341, 323 व 427 भादस मे आरोप पत्र न्यायालय मे पेश किया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह से अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।

साक्षी **पीडब्ल्यू–5 श्रवणसिंह** ने शपथ पर कथन किया है कि करीब 2 साल पहले 2–2.5 साल पहले वह तथा साहिल दोनो आबिद को लेने जा रहे थे। जैसे ही वे नहर के पास पहुंचे तो चिंटुसिंह ने उसे तथा साहिल को रोककर लोहे के पाईप से उनके साथ मारपीट की तथा उनके पास की स्कुटी को तोड दिया। साहिल के सिर, कंधे व अन्य जगह पर चोटें आई थी। आबताफ व आबिद खां ने बडी मुश्किल से बीच बचाव कर छुडाया था। वे छुडाने गये तो उनके साथ भी मारपीट की थी। इस मारपीट मे उसके पैर पर चोट आई थी। अरबाज के कान पर चोट आई थी। सोहेल के सिर मे चोट आई थी। उसके लगी चोटो की डॉक्टरी करवाई थी, आईआर प्रदर्श पी–3 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि दो–तीन साल पहले की बात है। साहिल आबिद का भांजा है। यह सही है कि वह आबिद के गैराज मे काम करता है। वह तथा साहिल आस–पास ही रहते है। यह सही है कि उसे व आबिद को फोन करके मौके पर बुलाया था। वह गया तब चिंटुसिंह वहीं पर था। उसके पुलिस बयान हुये थे। उसके पुलिस बयान घटना के कितने दिन बाद हुये थे, आज याद नही। उसक मेडिकल नहीं करवाया था, साहिल का मेडिकल करवाया था। यह कहना गलत है कि साहिल द्वारा तेज रफ्तार से स्कुटी चलाते वक्त स्लीप होकर गिरने से उसके चोटें आई हो। यह कहना गलत है कि वह आबिद के गैराज पर काम करता है, इसलिये आज झुठे बयान दे रहा है। बयान देने उसे आज साहिल लेकर आया है।

साक्षी **पीडब्ल्यू–6 साहिल** ने शपथ पर कथन किया है कि करीब 2 साल पहले 2–2.5 साल पहले वह आबिद को लेने जा रहे थे। जैसे ही वे नहर के पास पहुचे तो चिंटुसिंह ने उसे रोककर लोहे के पाईप से उसके साथ मारपीट की तथा उसकी स्कुटी को तोड दिया। उसके सिर, कंधे व अन्य जगह पर चोटे आई थी। श्रवणसिंह तथा अरबाज बीच बचाव करने आये तो उनके साथ भी मारपीट की थी। श्रवणसिंह के पैर मे चोट आई थी। अरबाज के मुंह पर चोट आई थी। उसके लगी चोटों की डॉक्टरी करवाई थी, आई आर प्रदर्श पी 04 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि उसके साथ हुई मारपीट मे आई चोटों का मेडिकल सरकारी अस्पताल मे आबिद ने करवाया था। आबिद उसका मामा लगता है। प्रदर्श पी–4 मेडिकल रिपोर्ट उसकी ही है, लेकिन इसमे नाम गलत लिखा है। उसका मेडिकल घटना के दिन ही दोपहर के 1–2 बजे करवा दिया था। वक्त घटना आबताब व इकबाल साथ मे नहीं थे, वह अकेला ही था। यह सही है कि मारपीट अरबाज के साथ हो रही थी। अरबाज उसका पडोसी है। स्कुटी आबिद भाई की थी। स्कुटी के फोटो उसने पेश नहीं किये थे। स्कुटी पर कोई तोडफोड नहीं है। उसके पुलिस मे बयान हुये थे। मारपीट हुई थी, उसी दिन उके पुलिस मे बयान थाने मे हुये थे। यह सही है कि झगडा स्कुल की बात को लेकर हुआ था। स्कुल की क्या बात थी, उसे नही पता। उसके सिर तथा हाथ पर चोट आई थी। यह सही है कि वक्त घटना वह अकेला ही था। यह कहना गलत है कि तेज रफ्तार से स्कुटी चलाते

वक्त स्लीप होकर गिरने से उसके चोटे आई हो। यह कहना गलत है कि उसने आपसी अदावदी के चलते यह झुठा मुकदमा करवाया हो। यह कहना गलत है कि चिंटुसिंह ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। यह सही है कि श्रवणसिह व आबिद खां को उसने फोन करके बुलाया था।

साक्षी **पीडब्ल्यू–7 राजुसिंह** ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 22–02–2021 को थानाप्रभारी के पद पर पुलिस थाना कोतवाली जालोर मे तैनात था। उस रोज प्रार्थी आबिद खां ने एक लिखित रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की थी, जिस पर उसने प्रकरण संख्या 102/2021 अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दंड संहिता मे दर्ज कर अनुसंधान बाबुलाल हेड कानिस्टेबल को सुपुर्द की थी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श पी–5 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि जिस दिन प्रार्थी ने रिपोर्ट पेश की थी, उसी दिन उसने मुकदमा दर्ज कर लिया था।

साक्षी **पीडब्ल्यू–8 बाबुलाल** ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 22–02–2021 को हेड कानिस्टेबल के पद पर पुलिस थाना कोतवाली जालोर मे तैनात था। उस रोज सीआर नंबर 102/2021 की पत्रावली तफ्तीश हेतु उसे प्राप्त हुई। जिस पर उसने रूबरू मौतबीरान के घटनास्थल का मुआयना कर नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 बनाया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने तफ्तीश गवाह आबिद खान, आफताब, अरबाज खान, साहिल खान, श्रवणसिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। मजरूब अरबाज, श्रवणसिंह व सोहेल का मेडिकल करवाकर आई आर प्रदर्श पी–6, प्रदर्श पी–3, प्रदर्श पी–4 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। स्कुटी की फोटो प्रदर्श पी–7 लगायत प्रदर्श पी–10 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। बाद तफ्तीश मुलजिम चन्द्रमोहन उर्फ चिंटु के विरूद्ध धारा 341, 323, 427 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित मानकर पत्रावली थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह को पेश की, जिन्होंने आरोप पत्र न्यायालय मे पेश किया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि घटना के दूसरे दिन मौका देखा था। यह सही है कि मारपीट के आलामात मौके पर नहीं थे, स्कुटी टुटी हुई थी। यह सही है कि उसने मौका फर्द मे स्कुटी के टूटी हुई होने की बात नहीं लिखी है। यह सही है कि गवाहों के बयान उसके द्वारा लिखे गये थे। घटना के दिन ही मजरूबान का मेडिकल करवा दिया था। यह सही है कि मेडिकल रिपोर्टों पर अरबाज, श्रवणसिंह, सोहेल के हस्ताक्षर नहीं है। स्कुटी मे मोच आई हुई है। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नही गया था और थाने मे बैठकर पत्रावली तैयार की हो।

साक्षी **पीडब्ल्यू–9 डॉ. गजानंद शर्मा** ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 22–02–2021 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामान्य चिकित्सालय जालोर में कार्यरत था। उस रोज एसएचओ जालोर की तहरीर पर मजरूब अरबाज पुत्र सलीम खान उम्र 15 साल जाति मुसलमान निवासी चामुण्डा गार्डन के पीछे जालोर की चोट का मुआयना किया। जिसमें प्रदर्श पी–6 है जिसमें ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है। मजरूब के शरीर पर काई बाहरी चोट नहीं थी। उसी रोज मजरूब श्रवणसिंह पुत्र प्रेमसिंह उम्र 20 साल जाति रावणा राजपुत निवासी बडी पोल जालोर की चोटों का मुआयना किया जो प्रदर्श पी–3 में अंकित है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मजरूब का पहचान

चिन्ह है। चोट निम्न है – निलगु चोट 1 गुणा 1 सेमी बाये घुटने के उपर चोट कुन्द हथियार से व सामान्य प्रकृति की थी। उसी रोज मजरूब सोहेल पुत्र सिरासुदीन उम्र 18 वर्ष जाति मुसलिम निवासी बडी पोल, जालोर की चोटों का मुआयना किया जो प्रदर्श पी–4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है। चोट संख्या 1 खून आलुदा चोट 1 गुणा 0.5 गुणा मसलडीप खोपडी के पीछे भाग में, चोट संख्या 2 निलगु चोट 1 गुणा 1 सेमी बाये कंधे पर दोनो चोटें कुन्द हथियार से व सामान्य प्रकृति की थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि अगर कोई व्यक्ति स्कूटी पर पीछे बैठे होने पर अगर स्कूटी स्लीप हो जाये तो निचे गिरने से चोट आना संभव है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–3, प्रदर्श पी–4, प्रदर्श पी–6 पर मजरूब के हस्ताक्षर नहीं है व हस्ताक्षर करवाना आवशयक नहीं है, मजरूब के पहचान चिन्ह अंकित है। दोनो की चोटे परीक्षण के 24 घण्टे के अन्दर की थी।

साक्षी **पीडब्ल्यू–10 अरबाज खान** ने शपथ पर कथन किया है कि करीब तीन–चार साल पहले दिन मे करीब दो तीन बजे नेहरू पार्क के सामने किसने किसके साथ मारपीट की थी, उसे नहीं पता। उसने केवल बीच–बचाव किया था। बीच–बचाव के दौरान उसके साथ भी मारपीट हुई थी। उसके साथ किसने मारपीट की थी, उसे नही पता। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि उसके पुलिस बयान हुये थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 का ए से बी भाग गवाह को पढकर सुनाया तो गवाह ने ऐसे बयान पुलिस को देने से इंकार किया। यह कहना गलत है कि मुलजिमान चन्द्रमोहन उर्फ चिंटुसिंह ने उसके, श्रवणसिंह, साहिल खान के साथ मारपीट कर चोटें पहुचाई हो। वह मारपीट करने वालो को नहीं पहचानता है। यह कहना गलत है कि वह आज झूठे बयान दे रहा है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह से अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।

साक्षी **पीडब्ल्यू–11 महेंद्र कुमार उर्फ मोटाराम** ने शपथ पर कथन किया है कि करीबन ढाई–तीन साल पहले जालोर में रेल्वे स्टेशन के पास नहर के पास मारपीट होने पर पुलिस ने घटना स्थल का मौका देखा था। पुलिस ने मौके पर कार्यवाही कर फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 बनाया था जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि प्रदर्श पी–2 में पुलिसवालों ने क्या लिखा पढी की उसे पता नहीं, उसके तो केवल हस्ताक्षर करवाए थे।

12– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में आपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादी/मजरूब आबिद खान द्वारा दिनांक 22–02–2021 को एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली के समक्ष पेश करने पर हुआ, जिसके माध्यम से उसने कथन किया कि दिनांक 22–02–2021 करीब 2.30 बजे दोपहर को श्रवणसिंह व साहिल खान चामुंडा गार्डन के पीछे आ रहे थे। जैसे ही नहर के पास आए तभी वहां घात लगाए खड़े चिंटूसिंह, पिंटूसिंह दिपुसिंह व 6–7 अन्य व्यक्तियों ने उन्हें रोककर लोहे के पाइप व लाठियों से हमला कर दिया। साहिल व श्रवणिसंह के पास स्कुटी थी उसे भी तोड़ दिया। साहिल के सिर में, कंधे पर व शरीर के अन्य अंगों पर तथा श्रवणिसंह के दोनों पैरों पर पाइप व

लाठियों से चोटें मारी, जिससे उसके खून निकलने लगा। जिस पर प्रार्थी व आबताब ने बड़ी मुश्किल से बीच–बचाव कर छुड़ाया वरना और अधिक मारपीट करते, जिससे प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह आहतगण श्रवणसिंह, साहिल तथा बीच–बचाव करने वाला परिवादी आबिद खान स्वयं तथा आफताब है, जो न्यायालय के समक्ष क्रमशः पीडब्ल्यू–5, पीडब्ल्यू–6, पीडब्ल्यू–1 व पीडब्ल्यू–3 के रूप में परीक्षित हुए, जिनमें से परिवादी आबिद खान पीडब्ल्यू–1 ने न्यायालय के समक्ष हुए कथनों में स्वयं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए चिंटुसिंह व अन्य लोगों द्वारा साहिल, अरबाज, आफताब व श्रवणिसंह के साथ लाठियों व डंडों से मारपीट करने तथा उसके तथा इकबाल द्वारा बीच–बचाव कर छुड़ाने बाबत साक्ष्य देते हुए यह कथन किया कि मारपीट में साहिल के सिर, पैरो पर तथा अरबाज के कान पर व श्रवणसिंह के सिर तथा पैरों पर चोट आई थी। साथ ही गवाह ने घटनास्थल तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि मारपीट में उसके चोटें नहीं आई, क्योंकि वह मौके पर नहीं था, परंतु इस गवाह ने इस कथन को गलत ठहराया कि उसने घटना नहीं देखी हो।

13– साक्ष्य की इसी कड़ी में आगे आहत पीडब्ल्यू–6 साहिल ने न्यायालय के समक्ष चिंटुसिंह द्वारा उसे रोककर लोहे के पाइप से मारपीट करने, स्कुटी तोड़ने व मारपीट से उसके सिर, कंधे व अन्य जगह पर चोट आने बाबत साक्ष्य दी है तथा यह कथन किया कि श्रवणसिंह तथा अरबाज बीच–बचाव करने आए तो उनके साथ भी मारपीट हुई। श्रवणसिंह के पैरों में चोट आई तथा अरबाज के मुंह पर चोट आई। साथ ही गवाह ने स्वयं के चोटों के डॉक्टरी बाबत चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 भी प्रदर्शित करवाया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–4 मेडिकल रिपोर्ट उसकी है, उसमें नाम गलत लिखा हुआ है। साथ ही इस सुझाव को भी गलत ठहराया कि चिंटुसिंह ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। आगे अन्य आहत पीडब्ल्यू–5 श्रवणसिंह ने भी चिंटुसिंह द्वारा उसे तथा साहिल को रोककर मारपीट करने व स्कुटी को तोड़ने व मारपीट में साहिल के चोटे आने बाबत साक्ष्य देते हुए कथन किया कि आफताब व आबिद खान ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बीच–बचाव कर छुड़ाया। उक्त मारपीट में उसके पैर पर चोट आई। अरबाज के कान पर चोट आई तथा साहिल के सिर में चोट आई। साथ ही उक्त गवाह ने स्वंय के लगी चोटों के डॉक्टरी बाबत चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 को प्रदर्शित करवाया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वीकार किया कि वह आबिद के गैराज में काम करता है। आगे यह भी स्वीकार किया कि उसे व आबिद को फोन करके मौके बुलाया था। साथ ही इस गवाह ने यह गलत ठहराया कि साहिल द्वारा स्कुटी को तेज गति से चलाने से उसके चोटें आई हो। आगे अन्य आहत पीडब्ल्यू–3 आफताब ने भी चिंटुसिंह द्वारा उसके, श्रवणसिंह व सोहेल के साथ लाठियों से मारपीट करने बाबत साक्ष्य दी है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि मारपीट करने वालों को वह नहीं जानता।

14– साक्ष्य की इसी कड़ी में गवाह पीडब्ल्यू–2 इकबाल ने नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 पर अपने हस्ताक्षर बाबत, गवाह लक्ष्मणिसंह पीडब्ल्यू–4 ने न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत करने बाबत एवं गवाह पीडब्ल्यू–7 राजुसिंह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पर प्रकरण दर्ज कर

Authenticated Document

चाक एफआईआर जारी करने बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। आगे गवाह पीडब्ल्यू–10 अरबाज खान पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन पक्ष की कोई सहायता नहीं करता है।

15– आगे चिकित्सीय साक्षी पीडब्ल्यू–9 डॉ. गजानंद शर्मा ने मजरूब अरबाज को कारित चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–6, श्रवणसिंह के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 व सोहेल को कारित चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 जारी करने की साक्ष्य देते हुए उक्त सभी आहतगण को कारित चोटें साधारण प्रकृति की बताई। अंत में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू–08 बाबुलाल ने स्वयं द्वारा किए गए अनुसंधान बाबत् विस्तृत सकारात्मक साक्ष्य दी है और अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि मारपीट के दौरान स्कुटी टूटी हुई थी।

16– इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने अपनी कहानी के प्रमाणीकरण के लिए जिन गवाहों को परीक्षित करवाया है, उनमें से प्रकरण के सभी महत्वपूर्ण गवाहान के मुख्य परीक्षण के कथन अखंडित रहे। यद्यपि प्रकरण का एक आहत अरबाज खान पीडब्ल्यू–10 पक्षद्रोही घोषित हुआ है, परंतु उक्त गवाह के पक्षद्रोही घोषित होने से भी अभियोजन की कहानी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकरण में आहतगण श्रवणसिंह, साहिल व आफताब को कारित चोटों का चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श पी–3, प्रदर्श पी–4 व प्रदर्श पी–6 पत्रावली पर उपलब्ध है। यद्यपि प्रदर्श पी–4 चोट प्रतिवेदन सोहेल के नाम से जारी किया गया है, जबकि आहत का नाम साहिल है, परंतु आहत साहिल ने प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 उसका है, परंतु उसका नाम गलत लिखा हुआ है। पत्रावली पर स्कुटी के फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध है, जिसमें स्कुटी थोड़ी–सी टूटी हुई प्रतीत हो रही है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है उनके समग्र अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं हुआ, जिससे अभियोजन कहानी संदेह के बादल से आच्छादित हो। ऐसी स्थिति में अभियोजन की कहानी को अविश्वसनीय मानने का इस न्यायालय के समक्ष कोई कारण प्रकट नहीं होता है। फलतः अभियोजन की कहानी सन्देह से परे प्रमाणित पाई जाती है।

17– सम्प्रति, अभियोजन पक्ष, अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस अवधारणीय बिंदु को युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 22–02–2021 को समय करीब 02.30 पी.एम. पर वाके मौजा जालोर में नहर के पास आहतगण को सदोष अवरोध कारित कर उनको उपहित कारित करने के आशय से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की। परिणामस्वरूप अभियुक्त चंद्रमोहन उर्फ चिंटूसिंह पुत्र मालमसिंह, उम्र–24 साल, निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, जालोर, पुलिस थाना कोतवाली, जिला जालोर (राजस्थान) को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 427 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप के तहत दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

आदेश

18– परिणामतः अभियुक्त चंद्रमोहन उर्फ चिंटूसिंह पुत्र मालमसिंह, उम्र–24 साल, निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, जालोर, पुलिस थाना कोतवाली, जिला जालोर (राजस्थान) को

Authenticated Document

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 427 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप के तहत दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

(डॉ. विमल व्यास)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जालोर

19– सजा के प्रश्न पर सुना गया। सजा के बिंदु पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा कभी भी न्यायालय द्वारा दी गई परिवीक्षा का लाभ नहीं लिया है, जिस बाबत् अभियुक्त की ओर से पूर्व में परिवीक्षा का लाभ नहीं लिये जाने बाबत् शपथ–पत्र भी पृथक से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही निवेदन किया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। अंत में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

20– विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

21– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध विगत दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय अभियुक्त को तुरंत प्रभाव से कारावास या अर्थदण्ड से दण्डित करने के बजाय सुधार का एक अवसर दिया जाना न्यायसंगत पाता है तथा अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का फायदा दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>दण्डादेश</u>

22– अतः अभियुक्त चंद्रमोहन उर्फ चिंटूसिंह पुत्र मालमसिंह, उम्र–24 साल, निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, जालोर, पुलिस थाना कोतवाली, जिला जालोर (राजस्थान) को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 427 भारतीय दंड संहिता की दोषसिद्धि के तहत अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त दो वर्ष की अवधि हेतु 10,000/– रुपये की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका इस आशय का पेश करेगा कि अभियुक्त उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, शांति व सदाचार बनाए रखेगा, न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उपस्थित हो जाएगा, तो उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। साथ ही, आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त पर हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व आहतगण की संख्या एवं उन्हे कारित चोटों की संख्या व प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए 1,200/–रुपये (अक्षरे एक हजार दौ सौ रुपये) बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित किए जाते है। उक्त समस्त राशि बाद अपील मियाद प्रकरण के आहतगण समान रूप से बतौर प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी रहेंगे। प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री यदि कोई हो तो बाद गुजरने अपील/मियाद नियमानुसार निस्तारण बाबत संबंधित पुलिस थाना को तहरीर जारी की जावें।

Authenticated Document

23– अभियुक्त के हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(डॉ. विमल व्यास)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जालोर

24– निर्णय आज दिनांक 15–06–2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. विमल व्यास)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जालोर

LAXMAN RAM
Digitally signed by LAXMAN RAM
Date: 2026.07.09 17:27:51 +0530